

बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQ)
सीईएन. सं. 06/2024 (पूर्व स्नातक)
(हिंदी)

Que.1 सीईएन संख्या 06/2024 के लिए आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है?

Ans. आवेदन की प्रारंभिक तिथि 21-09-2024 है।

Que.2 सीईएन संख्या 06/2024 के लिए आवेदन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि क्या है?

Ans.- आवेदन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 20-10-2024 (23:59 बजे) है।

Que.3 शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि क्या है?

Ans.- 20.10.2024 तक पंजीकृत आवेदन के शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 22.10.2024 (23:59 बजे) है

Que.4 आवेदन में संशोधन की तिथियां क्या हैं?

Ans. संशोधन विंडो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ही खुलेगी और 23.10.2024 से 01.11.2024 तक सक्रिय रहेगी। यदि उम्मीदवार 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चयनित आरआरबी के विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहते हैं, तो वे प्रत्येक अवसर पर 250/- रुपये (अप्रतिदेय) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं। (कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं' फॉर्म और 'चुने हुए आरआरबी' में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकेगा)।

Que.5 मेरे अंतिम परिणाम 20 अक्टूबर 2024 के बाद आने की उम्मीद है। क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?

Ans. नहीं, निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए।

Que. 6 'खाता बनाने' के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं?

Ans. उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर और वैध एवं सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए।

Que.7 मैंने CEN 01/2024 के लिए एक खाता बनाया है। क्या मुझे CEN 06/2024 के लिए एक और खाता बनाना चाहिए?

Ans. नहीं, जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2024 में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किसी भी अधिसूचना यानी सीईएन 01/2024 (एएलपी) या सीईएन 02/2024 (तकनीशियन), सीईएन 03/2024 (जेई, डीएमएस, सीएमए) सीईएन 04/2024 (पैरा मेडीकल), सीईएन 05/2024 (गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियाँ- स्नातक) या आरपीएफ सीईएन 01/2024 (सब-इंस्पेक्टर) या आरपीएफ सीईएन 02/2024 (कॉन्स्टेबल) के दौरान पहले ही खाता बना लिया है, उन्हें फॉर्म भरने/जमा करने के लिए फिर से खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें CEN 06/2024 के लिए आवेदन करने हेतु उसी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करना चाहिए।

Que. 8 'खाता बनाने' की प्रक्रिया क्या है?

Ans. 'आवेदन बटन' के अंतर्गत 'खाता बनाएं' चुनें, उम्मीदवार के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित पूछे गये सभी विवरण दर्ज करें। उम्मीदवार के मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजा जाएगा। इसे दर्ज करें और प्रस्तुत करें।

Que.9 क्या मैं 'खाता बनाएँ' विवरण संपादित कर सकता हूँ?

Ans. एक बार खाता बन जाने के बाद उम्मीदवार 'खाता बनाएं' के किसी भी विवरण को संपादित नहीं कर सकते। हालाँकि, वास्तविक कारण के मामले में उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ rrb.help@csc.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं, और मामले की जांच कर उचित निर्णय लिया जायेगा। ऐसे मामले में, आवश्यक संशोधन बैंक एंड पर किया जाएगा और उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल पर सूचित किया जाएगा।

Que. 10 'खाता बनाएं' के बाद अगली प्रक्रिया क्या है?

Ans. 'होम' पेज पर जाएं। 'आवेदन' टैब के अंतर्गत, ड्रॉपडाउन मेनू से 'पहले से ही खाता है' का चयन करें। अपने खाते में साइन इन करें। इसमें पांच व्यापक अनुभाग हैं: व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षिक योग्यता, प्रोफाइल दस्तावेज अपलोड करें, वरीयता और पूर्वावलोकन एवं प्रस्तुत करें। व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद, सेव

करें और अगले अनुभाग पर जाएं और इस तरह तब तक जारी रखें जब तक कि उम्मीदवार अंतिम अनुभाग 'वरीयता और पूर्वावलोकन और प्रस्तुत' तक न पहुंच जाए, जहां उम्मीदवार अंततः आवेदन जमा कर सकते हैं। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण करें। अंत में, पंजीकरण संख्या सहित आवेदन का प्रिंटआउट लें।

Que.11 क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है?

Ans. एप्लिकेशन माँड्यूल की कुछ विशेषताएं मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेंगी। इसलिए, डेस्कटॉप/लैपटॉप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

Que.12 लॉगइन करने की प्रक्रिया क्या है?

Ans. पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के पश्चात पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और प्रस्तुत करें।

Que.13 सीइएन 06/2024 में कितने वेतन स्तर हैं?

Ans. सीइएन 06/2024 में दो (स्तर-3 और स्तर-2) वेतन स्तर है।

Que.14 क्या मैं अन्य पद के लिए समान आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूँ?

Ans. हां। यदि आप शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं तो आप अन्य पदों के लिए भी समान आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

Que.15 क्या मैं अलग-अलग वेतन स्तरों के लिए अलग-अलग आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ?

Ans. नहीं। उम्मीदवारों को केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

Que.16 क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ?

Ans. नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा आपको आरआरबी और आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

Que.17 क्या मैं एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन कर सकता हूँ?

Ans. नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। समान आरआरबी में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा आपको आरआरबी और आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

Que.18 मैंने LASIK सर्जरी करवाई है। क्या मैं आवेदन करने के योग्य हूँ?

Ans. LASIK सर्जरी करा चुके उम्मीदवार उन पदों के लिए पात्र नहीं हैं जिनके लिए चिकित्सा मानक A1, A2 और A3 की आवश्यकता होती है। कृपया अनुलग्नक VIII देखें। जिन उम्मीदवारों को B1 एवं B2 चिकित्सा मानक वाले पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वः इस सीइएन सं. 06/2024 के अनुलग्नक VIII में दर्शाई शर्तों को पूरा करने पर आवेदन कर सकते हैं।

Que.19. आधार सत्यापन क्यों आवश्यक है?

Ans. उम्मीदवारी की वास्तविकता सुनिश्चित करने तथा परीक्षा के दौरान छद्मवेश पर रोक लगाने के लिए आधार सत्यापन आवश्यक है। आरआरबी आधार विवरण को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे या इस सीइएन के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे।

Que.20 यदि मेरे पास आधार नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए?

Ans. यदि उम्मीदवारों के पास आधार नहीं है तो वे निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज़ का विवरण दे सकते हैं:

i. डाइविंग लाइसेंस

ii. पासपोर्ट

iii. पैन

iv. मतदाता पहचान पत्र

v. कर्मचारी का आईडी (सरकारी)

vi. स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय पहचान पत्र (यदि अभी भी अध्ययन कर रहे हैं)

ऑनलाइन आवेदन में चयनित दस्तावेज़ को सीबीटी, डीवी और एमई आदि के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- Que.21** यदि मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया है तो मुझे कौन सा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा?
- Ans.** आवेदकों के पास नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना या प्रासंगिक कानूनी दस्तावेज होना चाहिए तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुरोध किए जाने पर उसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदकों को 'खाता बनाएं' के दौरान मूल नाम और परिवर्तित नाम भी भरना होगा। ऐसे मामलों में, आवेदन में दोनों नाम दर्शाने होंगे।
- Que.22** यदि मैं अपना खाता लॉगइन करने के लिए पासवर्ड भूल गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?
- Ans.** लॉगइन पेज पर 'पासवर्ड भूल गए' विकल्प पर क्लिक करें। अपनी जन्मतिथि सहित अपना पंजीकृत ईमेल या मोबाइल नंबर दर्ज करें। संशोधित पासवर्ड उम्मीदवार के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए संशोधित पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करना होगा। लॉग इन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ऊपरी दाहिने तरफ उपलब्ध 'पासवर्ड बदलें' विकल्प पर जाकर नया पासवर्ड बना सकते हैं।
- Que.23** क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूँ?
- Ans.** हां। उम्मीदवारों को पहले पुराने पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करना चाहिए। लॉगइन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ऊपरी दाहिने ओर उपलब्ध 'पासवर्ड बदलें' विकल्प पर जाकर अपना पुराना पासवर्ड बदल सकते हैं।
- Que.24** क्या मैं अपना 'चयनित आरआरबी' बदल सकता हूँ?
- Ans.** नहीं, आप आवेदन जमा करने के बाद 'चयनित आरआरबी' को नहीं बदल सकते।
- Que.25** क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण को संपादित कर सकता हूँ?
- Ans.** हां। आवेदन जमा हो जाने और पंजीकरण संख्या उत्पन्न हो जाने तक 'खाता बनाएं' के दौरान दर्ज किए गए विवरण के अलावा आवेदन में कोई भी विवरण को संपादित किया जा सकता है।
- Que. 26** 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) के लिए कौन पात्र हैं?
- Ans.** केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) प्राप्त कर सकते हैं।
- Que. 27** मैं 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
- Ans.** यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय 'क्या आप परीक्षा के लिए मुफ्त रेल यात्रा पास प्राप्त करना चाहते हैं' के अंतर्गत डॉपडाउन से 'हां' चुनना चाहिए तथा 'निकटतम रेलवे स्टेशन' भरना चाहिए। निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम बताएं, अन्यथा आरक्षण प्राप्त करते समय उनका यात्रा प्राधिकरण अस्वीकृत हो सकता है। उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।
- Que.28** मैं निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
- Ans.** पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में, उनके शहर सूचना पर्ची/ई-बुलावा पत्र में ही मुफ्त यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर श्रेणी रेलवे पास) शामिल होगा। उन्हें टिकट बुकिंग काउंटर पर अपनी शहर सूचना पर्ची/ई-बुलावा पत्र और एससी/एसटी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए सीईएन संख्या 06/2024 का पैरा डी 16.4 देखें।
- Que.29** मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूँ।
- Ans.** जाँच करें कि स्कैन किया गया दस्तावेज़ 'पीडीएफ' प्रारूप में है और उसका आकार 500KB से कम है।
- Que.30** ईबीसी क्या है?
- Ans.** ईबीसी का मतलब 'आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग' है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है (या) बीपीएल कार्ड धारक हैं या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र (या) रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी धारक हैं। उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।

- Que.31** **ईबीसी उम्मीदवारों को क्या लाभ दिए जाते हैं?**
Ans. ईबीसी उम्मीदवारों को 'शुल्क में रियायत' दी जाती है। विस्तृत सीईएन संख्या 06/2024 के पैरा डी 7.4 देखें।
- Que.32** **मैं एक ईबीसी हूँ। अगर मेरे पास ईबीसी प्रमाणपत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए?**
Ans. उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने से पहले विस्तृत सीईएन के अनुलग्नक III (ए) के अनुसार वैध आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि उनके पास अनुलग्नक III (ए) के अनुसार आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो उम्मीदवार अपने बीपीएल कार्ड का विवरण, या मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य प्रमाण पत्र (या) रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी का विवरण दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन संख्या 06/2024 के पैरा डी 7.4 देखें। आवेदन जमा करने की तारीख तक वैध ईबीसी प्रमाण पत्र / बीपीएल कार्ड / इज्जत एमएसटी, डीवी के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए; अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
- Que.33** **क्या ईबीसी के लिए आरक्षित पद हैं?**
Ans. नहीं। ईबीसी उम्मीदवार केवल शुल्क रियायत के लिए पात्र हैं। ईबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है।
- Que. 34** **इस CEN-06/2024 के लिए आयु की गणना हेतु महत्वपूर्ण तिथि क्या है?**
Ans. आयु की गणना के लिए निर्णायक तिथि 01.01.2025 है। अधिक जानकारी के लिए सीईएन संख्या 06/2024 के पैरा डी 5.0, 5.1 और 5.2 देखें।
- Que.35** **एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस स्थिति का दावा करने की निर्णायक तारीख क्या है?**
Ans. एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इस सीईएन के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (20.10.2024) तक जाति/समुदाय प्रमाण पत्र है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान, ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।
- Que.36.** **ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने के मापदंड क्या हैं?**
Ans. आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध विस्तृत सीईएन संख्या 06/2024 के पैरा डी 8.4 देखें।
- Que.37** **शुल्क रियायत के लिए कौन पात्र हैं?**
Ans. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं।
- Que.38** **मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में कार्यरत हूँ। क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ?**
Ans. आप भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकते हैं, यदि आप इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अर्थात् 20.10.2025 को या उससे पहले) से एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त हो जाते हैं। विस्तृत सीईएन संख्या 06/2024 के पैरा डी 10.2 देखें।
- Que. 39** **मैंने भूतपूर्व सैनिक के रूप में पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है। क्या मैं इस CEN के तहत भूतपूर्व सैनिक लाभ के लिए पात्र हूँ?**
Ans. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद पहले ही केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी'/तत्कालीन ग्रुप 'डी' में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ ही दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत सीईएन संख्या 06/2024 के पैरा डी 10.0 से डी 10.5 देखें।
- Que. 40** **दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी किसे प्रस्तुत करना चाहिए?**
Ans. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, सेवारत रेलवे कर्मचारी (एसआरई) और केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत कर्मचारियों को दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी प्रस्तुत करना चाहिए।

- Que.41 पीडब्ल्यूबीडी के लिए विकलांगता की निर्धारित मानक डिग्री क्या है?
Ans. बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्ति के रूप में माने जाने के लिए विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। विस्तृत सीईएन संख्या 06/2024 के पैरा डी 11.0 से डी 11.7 देखें।
- Que.42 क्या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं?
Ans. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी भी ऐसे पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं है, लेकिन सीईएन संख्या 06/2024 के अनुलग्नक-ए (पद पैरामीटर) में पद को उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करते समय उन्हें आयु में छूट और शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा।
- Que. 43 मैं पदों के लिए विभिन्न विकलांगताओं की उपयुक्तता के बारे में कैसे जान सकता हूँ?
Ans. पीडब्ल्यूबीडी के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अन्यथा को प्रत्येक पद के सामने पद पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) में, विकलांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के विवरण के साथ "बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के तहत दर्शाया गया है।
- Que. 44 स्क्राइब सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र हैं?
Ans. ऐसे उम्मीदवार जो दृष्टिबाधित (VI) हैं/ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी/मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित है/ऐसे उम्मीदवार जिनकी लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक बीमारी) 40% से अधिक है, वे स्क्राइब के लिए पात्र हैं और (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आनेवाले, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(r) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आनेवाले) 40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई होने पर, अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं। 'स्क्राइब' के बारे में अधिक जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा डी 11.4 देखें।
- Que. 45 'शुल्क वापसी' के लिए कौन पात्र हैं?
Ans. सीबीटी-1 में भाग लेने वाले उम्मीदवार केवल विस्तृत सीईएन संख्या 06/2024 के पैरा डी 7.0 के तहत दिए गए अनुसार (विधिवत बैंक शुल्क काटकर) 'शुल्क वापसी' के लिए पात्र हैं। कृपया ध्यान दें कि संशोधन शुल्क अप्रतिदेय है।
- Que. 46 कृपया मुझे आरआरबी की 'धन वापसी नीति' बताएं ?
Ans. धन वापसी नीति: भुगतान करते हुए, आवेदक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि किया गया भुगतान अप्रतिदेय है और आवेदक किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापसी प्रस्तुत नहीं कर सकता है। शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (विस्तृत सीईएन के पैरा डी 7.0 के अनुसार) केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होगा जो सीबीटी-1 में उपस्थित होंगे। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों तथा सीबीटी में उपस्थित न होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- Que.47 आवेदन में, केवल मेट्रिकुलेशन ही दिखाई दे रहा है। मैं अपनी अन्य योग्यताएं कैसे जोड़ूँ?
Ans. 'योग्यता' के अंतर्गत प्रासंगिक योग्यता का चयन करें, योग्यता विवरण भरें और 'जोड़ें' बटन पर क्लिक करें।
- Que.48 यदि मेट्रिक और अन्य योग्यता प्रमाणपत्रों पर केवल उत्तीर्ण होने का महीना और वर्ष ही उपलब्ध है, तो मुझे आवेदन में कौन सी तारीख दर्ज करनी चाहिए?
Ans. यदि किसी योग्यता प्रमाण-पत्र पर तारीख उपलब्ध नहीं है, तो प्रमाण-पत्र पर उपलब्ध माह की अंतिम तारीख दर्ज करें। उदाहरण के लिए मई-2023 को 31-05-2023 के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है।
- Que.49 यदि जिला/राज्य का विभाजन हो गया है तो मुझे किस जिले/राज्य का उल्लेख करना चाहिए?
Ans. वर्तमान जिला/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है क्योंकि विभाजन के बदले में कुछ जिलों को संबंधित राज्य के लिए नहीं दिखाया जाएगा, यानी, दो राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, संबंधित राज्यों के जिलों को और विभाजित किया गया है। इसलिए, अस्पष्टता से बचने के लिए वर्तमान जिले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है।
- Que.50 कुल मिलाकर कौन-कौन से दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे?
Ans. सभी उम्मीदवारों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अपनी स्कैन की गई तस्वीर और स्कैन किए गए हस्ताक्षर

अपलोड करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मुफ्त यात्रा पास प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

Que.51 अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की साइज क्या होनी चाहिए?

Ans. पीडीएफ प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र की साइज 500 KB से कम होनी चाहिए। फोटोग्राफ JPEG प्रारूप में 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। स्कैन किए गए हस्ताक्षर, JPEG प्रारूप में, 30 KB से 70 KB के बीच होने चाहिए। सभी आयाम 'प्रोफाइल दस्तावेज' अपलोड करें पृष्ठ पर ही प्रदर्शित होते हैं।

Que.52 मैं शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूँ?

Ans. शुल्क का भुगतान केवल नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवार से प्रोसेसिंग शुल्क और जीएसटी भी लिया जाएगा।

Que.53 मुझे कितना शुल्क देना होगा?

Ans. सीईएन संख्या 06/2024 का पैरा डी 7.0 देखें।

Que.54 भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या हैं?

Ans. प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा / कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (जैसा लागू हो), दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षा (एमई)।

Que.55 सीबीटी का प्रतिरूप और पाठ्यक्रम क्या है?

Ans. कृपया विस्तृत सीईएन संख्या 06/2024 के पैरा डी 13.1 (ए.बी.सी.) एवं 13.2.1 (ए.बी.सी.) देखें।

Que.56 क्या इसमें नकारात्मक अंकन होगा?

Ans. सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी।

Que.57 मुझे अपनी परीक्षा के लिए अपनी भाषा का चयन कहां करना चाहिए?

Ans. उम्मीदवार 'व्यक्तिगत विवरण' पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन मेनू में उपलब्ध 15 भाषाओं की सूची में से एक भाषा चुन सकते हैं।

Que.58 क्या मुझे उन सभी पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करना चाहिए जिनके लिए मैं पात्र हूँ?

Ans. हां, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा चुने गए आरआरबी में जितने पदों के लिए पात्र हों, उतने पदों के लिए अपनी वरीयता क्रम बताएं। आंशिक वरीयता वाले उम्मीदवारों पर केवल उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट रेलवे जोन और पदों/श्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा, जो आवंटन के समय रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। यदि किसी पद/श्रेणी के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाती है तो इसे उन पदों के लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार वरीयताएं प्रस्तुत कर दी जाएं तो वे अंतिम होंगी और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

Que.59 आवेदन प्रस्तुत करने से संबंधित प्रश्नों के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

Ans. उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन 06/2024 के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (सभी कार्यकालिन दिनों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) ईमेल: rrb.help@csc.gov.in फोन: 9592001188

Que.60 मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंततः जमा हो गया है?

Ans. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। आवेदक को सफल भुगतान पर ईमेल और एसएमएस के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी।

Que. 61 मेरा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में क्या मेरे द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाएगा?

Ans. आवेदनों की अस्वीकृति होने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

Que.62 क्या मैं आवेदन का प्रिंटआउट ले सकता हूँ?

Ans. हां। उम्मीदवार परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।